प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान

अनुच्छेद III (प्रारूप/प्रारूप)
अनुलग्नक 1- दावा प्रपत्र
(मृतक के दावे के लिए आवेदन, जहां या तो नामांकन दर्ज किया गया है या संयुक्त खाते में उत्तरजीवी खंड है)

तारीख: .....

प्रेषित
शाखा प्रबंधक,
बार्कलेज़ बैंक पीएलसी
_____ शाखा
भारत

माननीय महोदय/महोदया,
पुन: मृतक का खाता
स्वर्गीय श्री/श्रीमती: .....
खाता संख्या.....

मैं/हम, श्री/श्रीमती. ..... के निधन की सूचना देते हैं ..... पर। वह आपकी शाखा में उपरोक्त खाता रखता है. खाता इनके नाम पर है:: .....
क) नामांकन के मामले में
मैं, _____ निवासी _____
(i) उपरोक्त खाते(खातों) में पंजीकृत नामांकित व्यक्ति हूं। या
(ii) भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति, मास्टर/मिस _____ की ओर से, जो उपरोक्त खाते(खातों) में नामांकित व्यक्ति है और इस दावे की तिथि पर नाबालिग है।

कृपया नामांकित व्यक्ति के नाम पर खाते में शेष राशि का निपटान करें। मैं/हम मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में भुगतान प्राप्त करते हैं।
आपसे अनुरोध है कि या तो (i) डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से या (ii) अपने बैंक में संचालित मेरे खाते में स्थानांतरित करके, जिसका खाता संख्या..... है. मृतक के खाते में जमा राशि का भुगतान मुझे/हमें करें और मृतक का खाता बंद करें।

ख) उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त खाते के मामले में
मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि मृत व्यक्ति का नाम हटा दें, और उसी संचालन पद्धति के साथ मेरे/हमारे नाम पर खाता जारी रखें।
मैं निम्नलिखित दस्तावेज़ों की प्रतियाँ जमा करता हूँ।

1. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
2. नामांकित व्यक्ति का फोटो पहचान प्रमाण।

नामांकित व्यक्ति का पता प्रमाण

आपका विश्वासी,
..... (दावेदार)
तारीख:
जगह:

प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान

अनुलग्नक 2-दावा प्रपत्र

(उत्तरजीवी खंड के साथ नामांकन/संयुक्त खाते के अलावा, अन्य मामलों के लिए उपयोग किया जाएगा)

तारीख: .....

द्वारा,

तारीख: .....

प्रेषित

शाखा प्रबंधक,

बार्कलेज़ बैंक पीएलसी

_____ शाखा

भारत

माननीय महोदय/महोदया,

पुन: मृतक का खाता

स्वर्गीय श्री/श्रीमती: .....

खाता संख्या·····.

मैं/हम, श्री/श्रीमती. ..... के निधन की सूचना देते हैं ..... पर। वह आपकी शाखा में उपरोक्त खाता रखता है. खाता इनके नाम पर है:: .....

मैं/हम उपरोक्त नामित मृतक, जिसकी बिना वसीयत के मृत्यु हो गई, के खाते में उपार्जित ब्याज सहित शेष राशि के लिए अपना/हमारा दावा दर्ज करते हैं। मैं/हम उपरोक्त नामित मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी हैं/हैं और बैंक के नियमों और विवेक के अनुसार भुगतान के लिए अपना/हमारा दावा दायर करते हैं। मृतक और कानूनी उत्तराधिकारियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी इस प्रकार है।

मृतक के माता-पिता का पूरा नाम:

पिता: _____

माता: _____

मृतक का धर्म: _____

मृतक के न रहने पर केवल पति/पत्नी, बच्चे, पिता, माता, भाई, बहन, पोते आदि जैसे व्यक्ति बचे हैं। यदि हिंदू संयुक्त परिवार है, तो कर्ता और सह-साझेदारों का नाम और पता, उनकी संबंधित आयु इस प्रकार है:

क्र.सं	नाम	पता	पेशा	आयु	मृतक के साथ संबंध

ऊपर नामित व्यक्तियों में से निम्नलिखित व्यक्ति मृतक के खाते में जमा राशि का दावा करना चाहते हैं

प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान

नाम	पता
________________________	________________________
________________________	________________________

मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करते हैं। कृपया सत्यापन के बाद मूल मृत्यु प्रमाण पत्र हमें लौटा दें:

1. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल + 1 फोटोकॉपी) इनके द्वारा जारी किया गया:
2. दावेदार का पहचान प्रमाण
3. दावेदार का पता प्रमाण
4. वसीयत/प्रमाणित वसीयत/प्रशासन पत्र/उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की प्रति
5. क्षतिपूर्ति पत्र (जहां क्रमांक 4 पर सूचीबद्ध दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं और मृतक के खाते में जमा राशि 100,000/- रुपये से कम है)

आपसे अनुरोध है कि या तो (i) डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से या (ii) अपने बैंक में संचालित मेरे खाते में स्थानांतरित करके, जिसका खाता संख्या................ है. मृतक के खाते में जमा राशि का भुगतान मुझे/हमें करें और मृतक का खाता बंद करें।

आपका विश्वासी।

.... दावेदार(ओं) के हस्ताक्षर

दावेदार का नाम और पता

तारीख:

जगह:

प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान

परिशिष्ट 3

क्षतिपूर्ति सह शपथ पत्र (200 रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

हम (1), ... (अभिसाक्षी क्रमांक 1), भारतीय नागरिक, निवासरत .... और
(2), ...(अभिसाक्षी क्रमांक 2), भारतीय नागरिक, निवासरत .... और
(3), ... (अभिसाक्षी क्रमांक 3), भारतीय नागरिक, निवासरत .... और
(4), ... (अभिसाक्षी क्रमांक 4), भारतीय नागरिक, निवासरत .... और
(5), ... ((अभिसाक्षी क्रमांक 5), भारतीय नागरिक, निवासरत ....

इसके बाद सामूहिक रूप से अभिसाक्षी के रूप में जाना जाता है, और हममें से प्रत्येक इसके द्वारा गंभीरता से घोषणा करते है और इस प्रकार कहते है: -

1. एक श्री/सुश्री,_____ (इसके बाद मृतक के रूप में संदर्भित), की शहर _____ में मृत्यु हो गई _____ दिनांक पर)। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति बैंक को पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।
2. मृतक के न रहने पर केवल पति/पत्नी, बच्चे, पिता, माता, भाई, बहन, पोते आदि जैसे व्यक्ति बचे हैं।

क्र.सं	नाम	पता	पेशा	आयु	मृतक के साथ संबंध

3. हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर उल्लिखित कानूनी उत्तराधिकारी मृतक के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी हैं।
4. हमारे द्वारा की गई उचित और परिश्रमी खोज के बावजूद, हमें मृतक की वसीयत होने का दावा करने वाली कोई भी वसीयत और/या कोई दस्तावेज़ नहीं मिला है, और इन परिस्थितियों में मृतक को बिना वसीयत किए (बिना वसीयत किए) मृत माना जाता है।
5. केवल मृतक ही उक्त राशि के क्रेडिट में पड़ी राशि का हकदार था और किसी अन्य व्यक्ति के पास इसमें या उसके किसी भी हिस्से में कोई हिस्सा, अधिकार, शीर्षक या ब्याज नहीं था। .....रुपये की राशि. उक्त राशि का श्रेय और मृतक की संपत्ति का हिस्सा अब पड़ा हुआ है
6. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम, मृतक के एकमात्र उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में, ...रुपये की उक्त राशि के पूर्णतः हकदार हैं।
7. हमारे या हममें से किसी की ओर से और/या हमारी या हममें से किसी की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है; न ही हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानते हैं, जिसने मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व देने के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में कोई आवेदन दायर किया है।
8. मृतक की संपत्ति के संबंध में कोई संपत्ति शुल्क देय नहीं है।

BARCLAYS

प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान

9. हमें किसी भी न्यायिक/राजस्व/सरकारी प्राधिकारी द्वारा मृतक की संपत्ति या उसके किसी हिस्से से निपटने से नहीं रोका गया है।

10. हम, _____ ,_____, _____ और हममें से प्रत्येक अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से और बिना किसी अनुचित प्रभाव और/या दबाव के, उपरोक्त खाते में जमा बकाया राशि में हमारा हिस्सा/अधिकार और ब्याज श्री/सुश्री_____ के पक्ष में जारी करते हैं (अभिसाक्षी संख्या_____) और इसके द्वारा बैंक को श्री/सुश्री _____ (अभिसाक्षी संख्या. _____) को उक्त खाते में जमा राशि का भुगतान करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता हूँ

11. उपरोक्त अभ्यावेदन और घोषणाओं के आधार पर, हमने बैंक से उक्त खाते को बंद करने और श्री/सुश्री _____ (अभिसाक्षी संख्या _____ को उपरोक्त खाते में जमा राशि का भुगतान करने का अनुरोध करते हैं, जिसे बैंक हमारे द्वारा दी जा रही निम्नलिखित क्षतिपूर्ति पर करने के लिए सहमत हो गया है।

12. श्री/सुश्री. _____ (अभिसाक्षी संख्या·····.....)हमारी ओर से ट्रस्टी के रूप में ऐसी राशि प्राप्त करेगा, और उक्त राशि रु _____ का भुगतान श्री/सुश्री. _____ (अभिसाक्षी संख्या.....) को, इस संबंध में बैंक के दायित्वों का पूर्ण निर्वहन होगा।

13. इस बात पर विचार करते हुए कि उक्त बैंक उक्त खाते को बंद करने और उसमें जमा राशि का भुगतान श्रीमान/सुश्री _____ (अभिसाक्षी संख्या.....)को करने के लिए सहमत हो गया है. पूर्वगामी अभ्यावेदन के आधार पर और मृतक की संपत्ति के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने पर जोर दिए बिना हम संयुक्त रूप से ऐसा करते हैं और हममें से प्रत्येक व्यक्ति सभी दावों और मांगों के लिए उक्त बैंक और उसके अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने और क्षतिपूर्ति करने के लिए अलग से सहमत होता है, जो कार्रवाई, मुकदमे और कार्यवाही, संपत्ति शुल्क और व्यय और हानि और/या क्षति जो उक्त बैंक और/या उसके अधिकारियों या उनमें से किसी के खिलाफ हो सकती है या उत्पन्न होगी और/या अर्जित होगी। इस कारण से कि उक्त बैंक ने उक्त खाता बंद कर दिया है और श्रीमान/सुश्री _____ (अभिसाक्षी संख्या.....) को उसमें जमा राशि का भुगतान कर दिया है।

गंभीरतापूर्वक घोषणा की गई _____ इस _____ दिन _____ नामित द्वारा

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
नाम	हस्ताक्षर

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष

नोटरी

प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान

अनुबंध- 4

रसीद

धन्यवाद सहित प्राप्त, XXX बैंक से _____ शाखा, _____ रुपये की राशि._____ मात्र, बैंकर्स चेक नं._____ द्वारा, दिनांकित _____ के पक्ष में _____ उत्तराधिकारी के रूप में मेरे/हमारे दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान में, शेष राशि _____ खाता (खाते) संख्या में_____ मृतक के नाम पर श्री/श्रीमती/कुम._____ अब से मेरा/हमारा बैंक से कोई अन्य दावा नहीं है।

जगह:

तारीख:

_____

(सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर @ राजस्व टिकट पर)

यदि किसी अवयस्क के पक्ष में धनराशि का निपटान किया जाता है तो घोषणा

मैं, _____ पिता एवं प्राकृतिक संरक्षक _____ के, इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आपके बैंकर्स चेक नंबर. _____ दिनांकित _____ पक्ष में _____ जो आपके द्वारा खाता संख्या _____ स्वर्गीय _____ में शेष राशि के निपटान हेतु जारी किया गया था; इसका उपयोग केवल अवयस्क के लाभ के लिए किया जाएगा।

प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान

परिशिष्ट 5

निपटान रसीद (नामित/उत्तरजीवी/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दी जाने वाली)

धन्यवाद सहित प्राप्त, बार्कलेज़ बैंक पीएलसी से _____ शाखा, रुपये की राशि. _____ रुपये _____ मात्र, बैंकर्स चेक नं. _____ द्वारा, दिनांकित _____ पक्ष में _____ उत्तराधिकारी के रूप में मेरे/हमारे दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान में, शेष राशि _____ खाता (खाते) संख्या में_____मृतक श्री/श्रीमती/कुम._____ के नाम पर; अब से मेरा/हमारा बैंक से कोई अन्य दावा नहीं है।

जगह:

तारीख:

_____

(सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर @ राजस्व टिकट पर)

यदि किसी अवयस्क के पक्ष में धनराशि का निपटान किया जाता है तो घोषणा

मैं, _____ पिता एवं प्राकृतिक संरक्षक _____ के, इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आपके बैंकर्स चेक नंबर. _____ दिनांकित _____ पक्ष में _____ जो आपके द्वारा खाता संख्या _____ स्वर्गीय _____ में शेष राशि के निपटान हेतु जारी किया गया था; इसका उपयोग केवल अवयस्क के लाभ के लिए किया जाएगा।

अनुच्छेद IV

मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए आईबीए की मॉडल परिचालन प्रक्रिया के अनुसार, भारतीय कानून के तहत कानूनी उत्तराधिकारियों से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं:

हिंदू

- यदि मृतक एक पुरुष हिंदू है, जो वसीयतनामा में मर रहा है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या उसके एक या अधिक वर्ग-1 कानूनी उत्तराधिकारी हैं।
- निम्नलिखित को श्रेणी-I कानूनी उत्तराधिकारी कहा जाता है: मां, विधवा, बेटा, बेटी, पूर्व मृत बेटे का बेटा, पूर्व मृत बेटी का बेटा/बेटी, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र या पुत्री या विधवा, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्वमृत पुत्री की पूर्वमृत पुत्री का पुत्र/पुत्री। सभी वर्ग-I कानूनी उत्तराधिकारियों को एक साथ किसी भी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी के बहिष्कार पर विचार किया जाता है और किसी को भी दूसरे पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है।
- वर्ग-II के कानूनी उत्तराधिकारियों को अलग-अलग प्रविष्टियों में वर्गीकृत किया गया है और प्रविष्टि-I से संबंधित कानूनी उत्तराधिकारियों को दूसरी प्रविष्टि के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और इसी तरह उत्तराधिकार में भी। लेकिन एक ही प्रविष्टि में आने वाले इन लोगों में कोई प्राथमिकता नहीं होती और वे एक साथ अपना हिस्सा लेते हैं।

प्रविष्टि-1 पिता

BARCLAYS

प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान

प्रविष्टि-II - (ए) बेटे की बेटी का बेटा, (बी) बेटे की बेटी की बेटी (सी) बेटी की बेटी का बेटा, (डी) बेटी की बेटी की बेटी (ई) भाई और बहन।
प्रविष्टि-III- बेटी के बेटे का बेटा/बेटी और बेटी की बेटी का बेटा/बेटी।
प्रविष्टि-IV- भाई या बहन का बेटा/बेटी उत्तराधिकारी के रूप में, और भी बहुत ।

- यदि मृतक एक विवाहित महिला हिंदू है, जिसकी बिना वसीयत के मृत्यु हो गई, तो निम्नलिखित उसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं। (ए) बेटे और बेटियां (किसी भी पूर्व मृत बेटे के बच्चों सहित) और पति; (बी) पति के उत्तराधिकारी: (सी) माता और पिता, (डी) पिता के उत्तराधिकारी; (ई) माँ के वारिस.
  यदि बिना वसीयत के मरने वाली हिंदू महिला का कोई बेटा/बेटी नहीं है, तो उसके माता-पिता से विरासत में मिली संपत्ति पिता के उत्तराधिकारियों को मिलती है, जबकि यदि वह पति या सास-ससुर से विरासत में मिली है, तो पति के उत्तराधिकारियों को संपत्ति विरासत में मिलेगी।

ईसाई

- जहां मृतक ईसाई है, वहां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम निर्वसीयत उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है।
- इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, बिना वसीयत वाले पुरुष की विधवा संपत्ति के एक-तिहाई हिस्से की हकदार है, जबकि शेष दो-तिहाई बराबर शेयरों में वंशजों (यानी बेटों और बेटियों) को जाती है। यदि उसके पास कुछ नहीं है, तो पूरी संपत्ति उसकी विधवा को दे दी जाती है। यदि पुरुष निर्वसीयतकर्ता ने कोई वंशज नहीं छोड़ा है, तो एक आधा हिस्सा विधवा को और दूसरा आधा रिश्तेदार (जैसे, पिता, माता, भाई, बहन) को जाता है।
  यदि किसी ईसाई महिला की वसीयत के बिना मृत्यु हो जाती है, तो पति को भी यही अधिकार है।

मुसलमान

मुसलमानों के मामले में विरासत सुन्नी या शिया कानून द्वारा शासित होती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस संप्रदाय से संबंधित हैं।

सुन्नी कानून के अनुसार उत्तराधिकारियों के वर्ग हैं
हिस्सेदार-----संग-संबंध द्वारा वारिस
लग्न: पिता, सच्चे दादा, माता, सच्ची दादी

1. लग्न पिता, सच्चा दादा, माँ, सच्ची दादी
2. वंशज: बेटी, बेटे की बेटी,
3. संपार्श्विक: पूर्ण/सजातीय बहन, गर्भाशय भाई/बहन

आत्मीयता से उत्तराधिकारी पति, पत्नी

BARCLAYS

प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान
लेकिन इन 12 हिस्सेदारों को शर्तों के अधीन निश्चित शेयर विरासत में मिलेंगे। एक हिस्सेदार को कई कारणों से बाहर रखा जा सकता है जैसे कि खून में नजदीकी वाले को एक ही वर्ग में दूर के हिस्सेदार को बाहर कर दिया जाएगा। कभी-कभी हिस्सेदार को अवशेष के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या अन्यथा एक हिस्सेदार आंशिक रूप से हिस्सेदार और आंशिक रूप से अवशिष्ट हो सकता है।

अवशिष्ट श्रेणी:
हिस्सेदारों को निश्चित शेयर आवंटित किए जाने के बाद बचा हुआ अवशेष अवशिष्ट पर हस्तांतरित हो रहा है:

बच्चे पुरुष या महिला, मृतक के, मृतक के पुत्र के, मृतक के पिता के, सगे दादा के पुरुष वंशज

पुत्र सदैव अवशेषी होता है। पुत्र के साथ पुत्री अवशेषी हो जाती है। इनमें से, वंशज अन्य सभी को बाहर कर देते हैं।

लग्न के वंशजों को छोड़कर अन्य सभी को बाहर कर दिया जाता है और निकट के लग्न के वंशजों को दूरस्थ लग्न के वंशजों को बाहर कर दिया जाता है। प्रत्येक वर्ग के अवशेषों में निकट के रक्त में दूरस्थ को शामिल नहीं किया जाता है। इनमें बंटवारा पुरुष को दोगुना हिस्सा देने के नियम के मुताबिक होता है और अगर एक ही लिंग हो तो बराबर-बराबर बंटवारा होता है।

हिस्सेदारों और शेष संपत्ति के अभाव में संपत्ति उसके अन्य रक्त संबंधियों यानी दूर के रिश्तेदारों को हस्तांतरित हो जाती है

शिया कानून के मुताबिक वारिस होते हैं

सजातीयता द्वारा उत्तराधिकारी

I. (i) अभिभावक
(ii) बच्चे और वंशज
II (i) दादा-दादी (सही/गलत)
(ii) भाई या बहन और वंशज.
III उसके या उसके माता-पिता और दादा-दादी के चाचा या मामा

विवाह द्वारा उत्तराधिकारी: पति, पत्नी
सजातीयता के आधार पर उत्तराधिकारी और आत्मीयता के आधार पर उत्तराधिकारी एक साथ अग्रतर होते हैं। सजातीयता के आधार पर उत्तराधिकारियों में जो वर्ग । में हैं, उनमें वर्ग ॥ के लोग शामिल नहीं हैं। वर्ग । के दो वर्गों के उत्तराधिकारी एक साथ अग्रतर होते हैं। प्रत्येक अनुभाग में डिग्री में वरिष्ठ जो होता है, वो रिमोट को बाहर कर देता है । पुत्र सदैव अवशेष के रूप में लेता है।

जिस संस्था से मृतक संबद्ध था, उसके प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित लेटरहेड में मुस्लिम जामा-ए-एथ से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसमें कानूनी उत्तराधिकारियों का उनकी उम्र के साथ विवरण दिया गया हो।
पुरुष मृतक के मामले में, इस आशय का एक स्पष्ट प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि मृतक ने सूची में नामित महिला के अलावा किसी अन्य महिला से शादी नहीं की थी।

अवयस्क का हित और संरक्षकता

- जहां कानूनी उत्तराधिकारी अवयस्क है, वहां उसका वैध अभिभावक उसके हित का प्रतिनिधित्व करेगा।
- हिंदुओं और ईसाइयों के लिए, नाबालिग का पिता प्राकृतिक अभिभावक है और उसके बाद मां है। नाबालिग (हिंदू) की संरक्षकता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि पिता के जीवनकाल के दौरान भी मां प्राकृतिक अभिभावक हो सकती है क्योंकि बच्चे का कल्याण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- एक नाबालिग के लिए, जो मुस्लिम है, पिता, फिर पिता की वसीयत द्वारा नियुक्त व्यक्ति, फिर पिता के पिता और फिर पिता के पिता द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्रम में अभिभावक होंगे।

BARCLAYS

प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान

विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत कानूनी उत्तराधिकारी

i) हिंदू

क) हिंदू पुरुष के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

i. बेटा/बेटे
ii. बेटी/बेटियां
iii. पत्नी
iv. माता
v. पूर्व मृत बच्चों के बच्चे
vi. पूर्व मृत पुत्र की विधवा
vii. पूर्व मृत पोते-पोतियों के बच्चे।

बी) एक हिंदू महिला के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं

i. बेटा/बेटे
ii. बेटी/बेटियां
iii. पति
iv. पूर्व मृत बच्चों के बच्चे

II) मुसलमा

क) सुन्नी मुसलमान के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

i. बेटा/बेटे
ii. बेटी/बेटियां
iii. पिता
iv. माता
v. जीवनसाथी (पति/पत्नी)

ख) शिया मुसलमान के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

i. जीवनसाथी (पति/पत्नी)
ii. माता
iii. पिता
iv. बेटा/बेटे
v. बेटी/बेटियां

III) ईसाई

क) एक ईसाई के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

i. जीवनसाथी (पति/पत्नी)माता
ii. पिता
iii. बेटा/बेटे
iv. बेटी/बेटियां

iv) पारसी

क) पारसी पुरुष के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

i. पत्नी (विधवा)
ii. बेटा/बेटे
iii. बेटी/बेटियां
iv. माता

प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान

v. पिता

ख) पारसी महिला के प्राथमिक उत्तराधिकारी हैं:

i. पति
ii. बेटा/बेटे
iii. बेटी/बेटियां

पूर्व मृत बच्चों के बच्चे

अनुच्छेद V

विभिन्न प्रकार के परिचालन निर्देशों में दावों के निपटान का रेडी रेकनर (मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए आईबीए की मॉडल परिचालन प्रक्रिया से निकाला गया)

जमा

नामांकन के साथ

के नाम पर खाता	परिचालन निर्देश	नामांकित	परिस्थिति	क्या किया जाना चाहिए
ए	खुद	X	X मर जाता है	ए नामांकन बदल सकता है
ए	खुद	X	ए मर जाता है	एक्स को बकाया मिलेगा
ए,बी	दोनों में से एक या उत्तरजीवी	X	ए मर जाता है	बकाया राशि बी को देय होगी।
ए,बी	दोनों में से एक या उत्तरजीवी	X	बी मर जाता है	बकाया राशि ए को देय होगी
ए,बी	दोनों में से एक या उत्तरजीवी	X	ए और बी मर जाते है	एक्स को बकाया मिलेगा
ए,बी	संयुक्त रूप से	X	ए मर जाता है	बी. और ए के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से देय
ए,बी	संयुक्त रूप से	X	बी मर जाता है	ए .और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से देय
ए,बी	संयुक्त रूप से	X	ए और बी मर जाते है	एक्स को बकाया मिलेगा

नामांकन के बिना

के नाम पर खाता	परिचालन निर्देश	परिस्थिति	क्या किया जाना चाहिए
ए	खुद	ए मर जाता है	बकाया कानूनी उत्तराधिकारियों या

प्रक्रिया नोट: मृत और लापता व्यक्तियों के ग्राहक खातों के एवज में भुगतान

			सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित उनमें से किसी एक को देय होगा
ए,बी	दोनों में से एक या उत्तरजीवी	ए मर जाता है	बी को बकाया देय होगा
ए,बी	दोनों में से एक या उत्तरजीवी	बी मर जाता है	ए को बकाया देय होगा
ए,बी	दोनों में से एक या उत्तरजीवी	ए और बी मर जाते है	ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से देय (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित उनमें से कोई भी)
ए,बी	दोनों में से एक या उत्तरजीवी	ए मर जाता है	बी, और ए के कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित उनमें से किसी एक) को संयुक्त रूप से देय।
ए,बी	संयुक्त रूप से	बी मर जाता है	ए, और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित उनमें से किसी एक) को संयुक्त रूप से देय।
ए,बी	संयुक्त रूप से	ए और बी मर जाते है	ए और बी के कानूनी उत्तराधिकारियों को संयुक्त रूप से देय (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अधिदेशित उनमें से कोई भी)